

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

डालचन्द बनाम वादलात उर्फ सुरेन्द्र (कीस)

किस्म मुकदमा फा ५७ 111-128 नं० 33 सन 2023

| दिनांक | हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील न जारी हुए |
|--------|----------------------------------|--|
|--------|----------------------------------|--|

7-2-23

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.2.23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

28/2/23

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य संचालित कर रखने से पत्रावली दिनांक 14/3 को पेश हो ।

14-3-23

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य संचालित कर रखने से पत्रावली दिनांक 28/3 को पेश हो ।

28-3-23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाढ़ तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण को कितनी बार कूक-कूक कर भावाजे दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रापण स्वीकार किया जाकर चिठिया पत्र से लिखा जाकर शापण किया गया। पत्रावली फंसल श्रुमार होकर मन्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा



उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

संख्या - 33/23 प्राप्पत्र

श्री डालचन्द अ/श्री मांगी लाल जाट गिवासी-माण्डल तहसील माण्डल

--प्रार्थी

बनाम

1-श्री बालराम अ/श्री सुरेन्द्र अ/श्री कनवारी लाल भुवार गिवासी-चंडुमन्दिर के पास माण्डल तहसील (पूर्व) (एकड़ चिन्हापत्र संख्या 9841/4082)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28-03-23

::आदेश::

प्रार्थी और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....~~माण्डल~~.....पटवार हल्का.....~~माण्डल~~.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न09841/4082.....कुल किता.....01.....रकबा.....0.0759.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-02-23 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी के न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....~~माण्डल~~.....पटवार हल्का.....~~माण्डल~~.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं.....9841/4082.....कुल किता.....01.....रकबा.....0.0759.....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....~~माण्डल~~.....को.....500/-रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खंडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाडा